संपादकीय

पहली लड़ाई की जीत

कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने पहली लड़ाई जीत ली है। बेशक, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत ने जो अपील की है, उसका यह अंतरिम फैसला है, लेकिन इस फैसले ने पाकिस्तान के हाथ एक हद तक तो बांध ही दिए हैं। कम से कम अब जब तक अंतरराष्ट्रीय अदालत का इस मामले पर फैसला नहीं आ जाता, पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को मृत्युदंड नहीं दे सकता। पाकिस्तान का कहना था कि वैसे भी जाधव को अगस्त से पहले मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन अदालत का कहना था कि इससे यह स्पष्ट नहीं है कि अगर अगस्त के बाद भी मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती, तो उस स्थिति में क्या होगा? साथ ही अदालत ने पाकिस्तान के उस तर्क को भी नकार दिया है कि जाधव को राजनयिक संपर्क का अधिकार नहीं दिया जा सकता। भारत इसके लिए वियना कन्वेंशन का तर्क दे रहा था, तो वहीं पाकिस्तान का कहना था कि जासूसी और आतंकवाद के मामले में यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। एक तरह से देखें, तो अदालत में भारत के सारे शुरुआती तर्क स्वीकार कर लिए गए और पाकिस्तान के सारे तर्क नकार दिए गए, लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि अभी वह मामले में क्या सही है और क्या गलत, इस पर कोई राय नहीं दे रही, बस एक अंतरिम फैसला भर दे रही है। मामले को अंतरराष्ट्रीय अदालत में ले जाने के पीछे भारत का मूल मकसद था पाकिस्तान पर विश्व समुदाय का दबाव बनाना। वैसे भी, कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत का फैसला बहुत छोटे दायरे में ही होना था। वहां भारत को यह दिखवाना था कि इस मामले में पाकिस्तान न तो अंतरराष्ट्रीय परंपराओं का पालन कर रहा है, और न ही अपने एक बंदी को वह अधिकार ही दे रहा है, जो उसे मिलने चाहिए। जाधव के खिलाफ पाकिस्तान ने जो आरोप लगाए हैं, वे सही हैं या नहीं, इसका फैसला अंतरराष्ट्रीय अदालत में नहीं होना है। हेग में चल रही अदालती लड़ाई दरअसल विश्व बिरादरी को पाकिस्तान की असलियत दिखवाने की लड़ाई थी, जिसकी पहली पायदान पर भारत ने कामयाबी हासिल कर ली है। आगे की लड़ाई बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगी कि भारत किस हद तक इस मामले में अंतरराष्ट्रीय जनमत तैयार कर पाता है, और किस हद तक पाकिस्तान पर संस्थागत दबाव बना पाता है। मुमकिन है कि दबाव बढ़ने के बाद पाकिस्तान भारतीय राजनयिकों को कुलभूषण जाधव से मिलने की इजाजत दे दे। लेकिन यह संभावना अब भी नहीं है कि इस मामले की किसी निष्पक्ष अदालत में सुनवाई हो सकेगी। यहां तक कि इसकी संभावना भी नहीं है कि सुनवाई किसी नागरिक अदालत में होगी। इस मामले में अगर अपील होती भी है, तो सुनवाई सैनिक अदालत में ही होगी, जहां क्या फैसला होगा, यह लगभग पहले से ही तय है। यह जरूर हो सकता है कि अभी तुरंत जाधव को मृत्युदंड न दिया जाए और इसके लिए किसी उपयुक्त समय का इंतजार किया जाए। जैसा कि सरबजीत के मामले में पाकिस्तान ने किया था। जबकि उस मामले में तो पाकिस्तान के भीतर भी कुछ ऐसे लोग थे, जो सरबजीत को मृत्युदंड न दिए जाने की अपील कर रहे थे। जाधव के मामले में तो अभी ऐसे लोग भी सामने नहीं आए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जाधव मामले में हेग की अदालत का अंतरिम फैसला पाकिस्तान को भी सोचने पर मजबूर करेगा। अभी तो वह जिस राह पर चल रहा है, उससे उसकी अंतरराष्ट्रीय साख तो खराब होगी ही, दोनों देशों के संबंध भी इतने ज्यादा खराब हो जाएंगे कि उन्हें संभालना फिर किसी के लिए आसान नहीं होगा।

जाधव मामले में जीत से तीन साल की उपलब्धियों में लगे चार चांद

नई दिल्ली

यूं तो आक्रामक कूटनीति केंद्र सरकार की उपलब्धियों में हमेशा से शुमार रही है, कुलभूषण जाधव के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भी पाकिस्तान को दी गई पटखनी ने तीन साल के जश्न को चार चांद लगा दिये हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत जहां कई विपक्षी दलों ने भारत की जीत पर खुशी जताईं, वहीं यह माना जा सकता है कि तीन साल के कार्यक्रमों व समारोहों में इसका जिक्र होगा कि भारत ने पहली बार नागरिक की सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

मोदी सरकार कई मायनों में इतिहास बनाती रही है। सिर्फ तीसरे साल की ही बात की जाए तो पाकिस्तान की सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की घटना भारत मे पहली बार हुई थी। पिछले वर्षों में

विदेशों मे फंसे भारतीयों को सटीक तरीके से निकालने का अभियान भी किया जा चुका था। लेकिन जाधव का मामला इस कारण से भी राजनीतिक रंग ले सकता है क्योंकि संप्रग काल में गर्म रहे सरबजीत सिंह का केस बहुत अलग नहीं था। तत्कालीन सरकार लाख कोशिशों के बावजूद सरबजीत को नहीं बचा पाई बल्कि उस सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कोर्ट तक जाने की सोच भी नहीं दिखाई थी। सरबजीत ने पाक के अस्पताल में अंतिम सांस ली थी।

भारत ने पहली बार नागरिक सुरक्षा के लिए शीर्ष स्तर तक दरवाजा खटखटा कर उस अमेरिकी सोच की झलक दिखाई है, जिसमें नागरिकों के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है। मोदी सरकार का यह नया प्रयास राजनीतिक रंग भी दिखाएगी इसमें आशंका का गुंजाइश नहीं है। ध्यान रहे कि सरकार और भाजपा 26 मई से 15 जून तक तीन साल पूरे करने के उपलक्ष्य मे कई आयोजन कर रही है। जाहिर है कि जाधव को सुरक्षित बचाकर लाने की मुहिम में पहली ठोस जीत ने सरकार की उपलब्धियों की सूची में नया आयाम जोड़ दिया है।

मोदी सरकार के तीन साल के कामकाज पर सवाल उठा रहे विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को बधाई देने से बचे। हेग गई टीम को उन्होंने बधाई दी और सरकार से यह अपेक्षा की इस मामले में और ठोस कदम के साथ जाधव को बचाया जाएगा। यानी विपक्ष भरसक कोशिश करेगा कि सरकार को इसका श्रेय न दिया जाए। पर विपक्ष का यह डर ही सरकार के लिए डंके का काम करेगा।

केरल कोर्ट ने ठुकराई डाक से भेजे तलाक को कानूनी जामा पहनाने की याचिका

मल्लापुरम

मल्लापुरम की अदालत ने एक व्यक्ति की उस याचिका को ठुकरा दिया, जिसमें उसने रजिस्टर्ड डाक से अपनी पत्नी को भेजे तलाक को कानूनी रूप दिए जाने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि तलाक देने में उसने इस्लामिक कानून के मुताबिक तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया। अली फैजी नामक व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए पारिवारिक अदालत के न्यायाधीश रमेश भाई ने केरल और कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व में दिए आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि पवित्र कुरान के मुताबिक तलाक के लिए पर्याप्त वजह होनी चाहिए।

समुद्री लड़ाकू जहाज बनाने में भारत को महारत - सुनील लांबा

सिंगापुर

समुद्र में चलने वाले लड़ाकू जहाज बनाने में भारतीय कंपनियों को महारत हासिल हो गई है। इसके चलते भारतीय जहाज निर्माण उद्योग दुनिया में खास महत्व रखता है। ये भारतीय कंपनियां हर तरह के जहाज, पनडुब्बी और विमानवाहक पोत बनाने में सिद्धहस्त हैं।

विभिन्न देशों के 41 जहाज और पनडुब्बियां इस समय भारत में बन रही हैं। यह जानकारी नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने दी

है। एडमिरल लांबा यहां पर चार दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। इस बीच भारत और सिंगापुर की नौ सेनाओं ने गुरुवार से ही दक्षिण चीन से सागर में संयुक्त अभ्यास शुरू कर दिया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के चार जहाज और अत्याधुनिक पी-81 टोही विमान भाग ले रहे हैं, जबकि सिंगापुर की नौसेना की ओर से फोकर एफ 50 निगरानी विमान और एफ-16 लड़ाकू विमान भी अभ्यास में भाग ले रहे हैं।

नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन डीके शर्मा के अनुसार अभ्यास के दौरान पनडुब्बी से होने वाले युद्ध पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभ्यास में हमले और बचाव की रणनीति पर मिली-जुली कार्रवाई की जाएगी। दोनों देशों की नौसेनाओं का वार्षिक संयुक्त अभ्यास 1994 से जारी है।

गंगा की गाद को साफ करना जरूरी, सरकार को देना होगा ध्यान - नीतीश

नई दिल्ली

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा की अविरलता को बेहद जरूरी बताते हुए दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि गंगा की तली में गाद जमा होना इसके प्रवाह को बाधित करने के लिहाज से एक अहम मुद्दा है। इस पर सभी दलों और सरकारों को ध्यान देना चाहिए।

गंगा की अविरलता में बाधक गाद- समस्या एवं समाधान विषय पर आयोजित कार्यक्रम में नीतीश ने कहा, आज गंगा की स्थिति देख कर रोना आता है। नदी के तल में जमा गाद पानी के प्रवाह को रोकता है। गाद से जटिल समस्याएं पैदा होती हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव बिहार के साथ-साथ अन्य राज्यों पर भी पड़ता है। गंगा की अविरलता मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह सिर्फ बिहार का मुद्दा भी नहीं है।

यह राष्ट्रीय मुद्दा है। गंगा की अविरलता को कायम रखने के लिए कदम उठाना ही होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि दो दिन के इस सम्मेलन के दौरान विशेषज्ञ इस समस्या से निपटने के रास्ते तलाशेंगे और विभिन्न राज्य और केंद्र सरकारें उस पर सक्रिय रूप से काम करेंगी। उन्होंने कहा कि गाद जमा होने की वजह से बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। बिहार जैसे गरीब राज्य को नदी से होने वाले कटाव को रोकने के उपायों पर पांच साल में एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने होते हैं।

बिहार के जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि गाद की समस्या आज बिहार झेल रहा है, कल उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्य भी झेल सकते हैं। नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को केंद्र के सामने कई बार उठाया है, लेकिन अब तक इस पर गंभीरता नहीं दिखाई गई है। बड़ी संख्या में पर्यावरणविद, नदी विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया।

गंगा पर दिल्ली में आयोजित सम्मेलन राजनीति से तो पूरी तरह दूर था, लेकिन इस दौरान भी राजनीति पूरी तरह हावी दिखाई दी। सम्मेलन के मंच से ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है और वे अपनी जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते।

इसी तरह राज्य सूचना विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में भी लिखा है कि सभी वक्ताओं ने कहा कि, नीतीश कुमार राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान करेंगे।

यह और बात है कि खुद नीतीश कई बार कहते रहे हैं कि वह प्रधानमंत्री पद की दौड़ में नहीं हैं।

भाजपा को हराने के लिए देंगे कांग्रेस का साथ - हार्दिक पटेल

अहमदाबाद

पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि गुजरात में भाजपा को हराने के लिए पाटीदार कांग्रेस का समर्थन करेगा बशर्ते कांग्रेस पाटीदारों की मांग पूरी करने का आश्वासन दे। हार्दिक ने कहा कि भाजपा फिर से चुनाव जीतकर आती है तो उन्हें फिर से जेल में डाल देगी। पाटीदार सामूहिक रुप से मुंडन कराकर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का भी विरोध करेंगे। पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के संयोजक हार्दिक पटेल ने पत्रकारों से कहा कि गुजरात में पाटीदार आरक्षण की मांग को लेकर पिछले दो साल से आंदोलन कर रहे है।

सरकार व भाजपा मान रही है कि पाटीदार आंदोलन समाप्त हो गया है। लेकिन प्रदेश में एक बार फिर 11 जून को पचास हजार पाटीदार एकत्र होकर अपनी ताकत बतायेंगे। भाजपा से टक्कर लेने को हार्दिक ने एक मिसकाल अभियान चलाया है, जिससे पचास लाख पाटीदारों को

जोड़ा जायेगा। हार्दिक ने आशंका जतायी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा चुनाव जीत कर आती है तो उन्हें फिर से जेल में डाला जायेगा। हार्दिक भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस के साथ गठजोड़ की तैयारी कर रहे है।

हार्दिक का कहना है कि काग्रेस पाटीदारों को ओबीसी के तहत आरक्षण आंदोलन में मारे गये दस युवकों के परिजनों को मुआवजा, पाटीदार युवकों पर चल रहे मुकदमें वापस लेने तथा पाटीदार आयोग के गठन का वादा करते है तो पाटीदार कांग्रेस का साथ देने को तैयार है। हार्दिक कहते हैं कि कांग्रेस राज्य में 25 साल से सत्ता से बाहर है।

दैनिक पंचांग

19 मई 2017 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

शुक्रवार 2017 वर्ष का 146 वां दिन
दिशाशूल पश्चिम **ऋतु** ग्रीष्म।
विक्रम संवत् 2074 **शक संवत्** 1939
मास ज्येष्ठ (दक्षिण भारत में वैशाख)
पक्ष कृष्ण
तिथि अष्टमी 18.11 बजे को समाप्त।
नक्षत्र धनिष्ठा 10.48 बजे को समाप्त।
योग इन्द्र 20.38 बजे को समाप्त।
करण बालव 6.03 बजे तदनन्तर कौलव 18.11 बजे को समाप्त।
चन्द्रायु 22.5 घण्टे
रवि क्रान्ति उत्तर 19° 46'
सूर्य उत्तरायण
कलि अहर्गण 1869427
जूलियन दिन 2457892.5
कलियुग संवत् 5119
कल्पारंभ संवत् 1972949117
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885117
वीरनिर्वाण संवत् 2543
हिजरी सन् 1438
महीना सावान **तारीख** 22
विशेष कालाष्टमी।

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	वृष में	वृष	05.02 बजे से
चंद्र	कुंभ में	मिथुन	07.04 बजे से
मंगल	वृष में	कर्क	09.17 बजे से
बुध	मेष में	सिंह	11.34 बजे से
गुरु	कन्या में	कन्या	13.46 बजे से
शुक्र	मीन में	तुला	15.56 बजे से
शनि	धनु में	वृश्चिक	18.11 ब.से
राहु	सिंह में	धनु	20.27 बजे से
केतु	कुंभ में	मकर	22.32 बजे से
राहुकाल		कुंभ	00.19 बजे से
10.30 से		मीन	01.52 बजे से
12.00 बजे तक		मेष	03.22 बजे से

दिन का चौघड़िया		रात का चौघड़िया	
चर	06.01 से 07.30 बजे तक	रोग	06.01 से 07.30 बजे तक
लाभ	07.31 से 09.00 बजे तक	काल	07.31 से 09.00 बजे तक
अमृत	09.01 से 10.30 बजे तक	लाभ	09.01 से 10.30 बजे तक
काल	10.31 से 12.00 बजे तक	उद्वेग	10.31 से 12.00 बजे तक
शुभ	12.01 से 01.30 बजे तक	शुभ	12.01 से 01.30 बजे तक
रोग	01.31 से 03.00 बजे तक	अमृत	01.31 से 03.00 बजे तक
उद्वेग	03.01 से 04.30 बजे तक	चर	03.01 से 04.30 बजे तक
चर	04.31 से 06.00 बजे तक	रोग	04.31 से 06.00 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अत: आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ मंगल सैणचा, बेंगलोर

आपका राशिफल 19 मई

मेष (चू चे चो ला ली लू ले लो अ) — मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश सफल होगी। कामकाज में आ रहा अवरोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा। अपने काम में सुविधा मिल जाने से प्रगति होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. नवीन जिम्मेदारी बढ़ने के आसार रहेंगे। अपने काम को प्राथमिकता से करें। शुभांक-6-8-9

वृष (इ उ ए ओ वा वी वू वे वो) — आत्मविश्वास बढ़ेगा। कारोबारी काम में बाधा उभरने से मानसिक अशांति बनी रहेगी। यात्रा का दूरगामी परिणाम मिल जाएगा। सुविधा और समन्वय बना रहने से कामकाज में प्रगति बन जाएगी। आर्थिक हित के काम को साधने में मदद मिल जाएगी। मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। शुभांक-2-5-8

मिथुन (का की कू घ ङ छ के को हा) — विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। स्वास्थ्य लाभ में समय और धन व्यय होगा। मध्याह्न पूर्व समय आपके पक्ष का बना रहेगा। कारोबारी काम में प्रगति बनती रहेगी। लेन-देन में आ रही बाधा दूर करने का प्रयास होंगे। परिश्रम प्रयास से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। शुभांक-5-7-8

कर्क (ही हू हे हो डा डी डू डे डो) — पर-प्रपंच में ना पड़कर अपने काम पर ध्यान दीजिए। कल का परिश्रम आज लाभ देगा। आलस्य का त्याग करें। कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। यार-दोस्तों के साथ साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा। पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे। शुभांक-4-5-7

सिंह (मा मी मू मे मो टा टी टू टे) — कार्यक्षेत्र में संतोषजनक सफलता मिलेगी। अपनों का सहयोग प्राप्त होगा। पत्नी व संतान पक्ष से थोड़ी चिंता रहेगी। शिक्षा में आशानुकूल कार्य होने में संदेह है। व्यापार व व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। मित्रों से सावधान रहें तो ज्यादा उत्तम है। शुभांक-1-3-6

कन्या (टो पा पी पू ष ण ठ पे पो) — पठन-पाठन में स्थिति कमजोर रहेगी। खान-पान में सावधानी रखें। कामकाज में आ रहा अवरोध दूर होकर प्रगति का रास्ता मिल जाएगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अच्छे कार्य के लिए रास्ते बना लेंगें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। निष्ठा से किया गया कार्य पराक्रम व आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा। शुभांक-2-4-6

तुला (रा री रु रे रो ता ती तू ते) — शारीरिक सुख के लिए व्यसनों का त्याग करें। संतान पक्ष की समस्या समाप्त होगी। खान-पान में सावधानी रखें। व्यापार में प्रगति होगी। अपने अधीनस्त लोगों से कम सहयोग मिलेगा। भ्रातृपक्ष में विरोध होने की संभावना है। शिक्षा में आशानुकूल कार्य होने में संदेह है। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। शुभांक-5-7-8

वृश्चिक (तो ना नी नू ने नो या यी यू) — जीवनसाथी का परामर्श लाभदायक रहेगा। व्यापार व नौकरी में स्थिति अच्छी रहेगी। पुरुषार्थ का सहारा लें। कार्यसिद्धि होने में देर नहीं लगेगी। आर्थिक लाभ उत्तम रहेगा। शैक्षणिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार में किसी मांगलिक कार्य पर वार्ता होगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। लेन-देन में अस्पष्टता ठीक नही। शुभांक-3-5-7

धनु (ये यो भा भी भू धा फा ढा भे) — धार्मिक कार्य में समय और धन व्यय होगा। अपना काम दूसरों के सहयोग से पूरा होगा। मध्याह्न पूर्व समय आपके पक्ष का बना रहेगा। कारोबारी काम में प्रगति बनती रहेगी। लेन-देन में आ रही बाधा दूर करने का प्रयास होंगे। पुराने मित्र से मिलन होगा। स्वविवेक से कार्य करें। शुभांक-4-6-8

मकर (भो जा जी खी खू खे खो गा गी) — समय नकारात्मक परिणाम देने वाला बन रहा है। अपने हितैषी समझे जाने वाले ही पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। परिवारजन का सहयोग व समन्वय काम को बनाना आसान करेगा। कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। स्वविवेक से कार्य कर। शुभांक-3-6-9

कुंभ (गू गे गो सा सी सू से सो दा) — हित के काम में आ रही बाधा मध्याह्न पश्चात् दूर हो जाएगी। अपने काम आसानी से बनते चले जाएंगे। साथ ही आगे के लिए रास्ता भी बन जाएगा। यात्रा का योग। जीवन साथी अथवा यार-दोस्तों के साथ साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा। पूंजी निवेश सोच-समझकर करें। शुभांक-2-4-6

मीन (दी दू थ झ ञ दे दो चा ची) — कहीं रुका हुआ पैसा वसूलने में मदद मिल जाएगी। व्यर्थ प्रपंच में समय नहीं गंवाकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने में रुकावट का एहसास होगा। विरोधियों के सक्रिय होने की संभावना है। शत्रुहानि की आशंका रहेगी। आय के योग बनेंगे। किसी की सफलता से प्रेरित होंगे। शुभांक-1-3-5

पृष्ठ 1 का शेष

आइसीजे ने लगाई फांसी...

अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान आइसीजे के इस फैसले को मानने के लिए बाध्य है? पाकिस्तान के कुछ वकीलों का कहना है कि वह इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है यानि आइसीजे के फैसले को दरकिनार कर जाधव को दी गई फांसी की सजा पर अमल किया जा सकता है, लेकिन न्यायाधीश अब्राहम के आदेश में यह साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि विएना संधि पर हस्ताक्षर किये जाने की वजह से भारत और पाकिस्तान दोनों उसके फैसले को मानने के लिए बाध्य है।

जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान के वकील ने तर्क रखा था कि इस मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन न्यायालाय ने इसे खारिज कर दिया है। इसलिए हर लिहाज से यह मामला अब न्यायालय के तहत है और पाकिस्तान इसका पालन करने के लिए बाध्य है।

आइसीजे के फैसले पर किसने क्या कहा ?

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कहा की कोर्ट के फैसले के बाद जाधव के परिवार और देश की जनता को राहत मिली है। सुषमा ने अपने ट्वीट में भारतीय वकील हरीश साल्वे का धन्यवाद भी किया। सुषमा ने कहा कि मैं देश की जनता को भरोसा दिलाती हू कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि मामले में भारत की जीत हुई है। मामले में संबंधित सभी को बधाई देता हूं। विशेषकर विदेश मंत्रालय को। उम्मीद है कि अंतिम निर्णय भी भारत के पक्ष में आएगा और हम जाधव को अपने देश में देखेंगे।

अब फैसले का इंतजार, तीन तलाक...

तीन तलाक इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं

केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि तीन तलाक इस्लाम का अभिन्न हिस्सा कभी था ही नहीं। इसे सिर्फ इस लिए नहीं जारी रखा जा सकता है कि ये प्रथा पिछले 1400 साल से चल रही थी। अटॉर्नी जनरल ने तर्क देते हुए कहा कि क्या कोई ये कह सकता है कि परंपरा के नाम पर नरबलि को इजाजत दे दी जाए।

अदालत में जिरह के कुछ खास अंश

जस्टिस यूयू ललित- तलाक खत्म किया तो केंद्र सरकार क्या करेगी

अटॉर्नी जनरल- तलाक खत्म होने पर केंद्र सरकार कानून लाएगी।

जस्टिस खेहर- आप यह काम पहले क्यों नहीं कर लेते, हम रेफरेंस लौटा सकते हैं।

अटॉर्नी जनरल- आप ने स्वत: संज्ञान लिया है, ये राष्ट्रपति संदर्भ नहीं है, जिसे आप लौटा सकें, इस पर आपको फैसला देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दारुल उलूम देवबंद ने नया फतवा जारी कर कहा कि कोई भी शौहर अपनी पत्नी को उसकी मर्जी के बगैर तलाक नहीं दे सकता है।

कुरान पढ़कर जजों ने पूछा कि इसमें कहां है तीन तलाक ?

तीन तलाक पर बुधवार को सुनवाई के दौरान एक ऐसा वक्त आया जब संविधान पीठ के पांचों जज कुरान खोलकर उसकी आयतें पढ़ने लगे। मसला तलाक से जुड़ी कुरान की अल- बकरा चैप्टर दो की आयत संख्या 230 का था। जमीयत उल उलेमा हिंद के वकील वी गिरि ने जब कोर्ट का ध्यान कुरान की आयत संख्या 230 पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि एक बार में तीन तलाक यानी तलाक उल बिद्दत की बात कही गई है।

तो मुख्य न्यायधीश समेत पांचों न्यायधीशों ने सामने रखी कुरान उठाई और आयत पढ़ना शुरू किया। कुरान को वह अंग्रेजी अनुवाद था। न्यायधीशों ने वकील वी गिरी से कहा कि जो बात आप कह रहे हैं वो तो इस आयत में नहीं लिखी गई है।

सबसे बड़ी बात है कि आयत में लिखी बातों की आप जिस तरह से व्याख्या कर रहे हैं उसका वो मतलब नहीं निकलता है, जिस तरह से आप व्याख्या कर रहे हैं। न्यायधीशों ने कहा कि आप संपूर्णता में देखें, कहीं भी एक बार में तीन तलाक की बात नहीं कही गई है।

महबूबा मुफ्ती से मिले अरुण जेटली...

रक्षा मंत्री को जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति और सभी सरकारी एजेंसियों के बीच करीबी समन्वय के जरिये घाटी में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया गया।

उन्हें नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ रोकने का तंत्र मजबूर करने के विभिन्न उपायों के बारे में भी बताया गया। अधिकारियों ने बताया कि जेटली ने सैनिकों के त्याग, बलिदान और देशभक्ति के जज्बे की प्रशंसा की और कहा कि पूरे देश को उन पर नाज है।

ड्रैगन को कुछ यूं देगा...

2013 की आपदा के बाद न्यू सोबला-दारमा मार्ग पर काम करीब दो वर्षों तक बंद रहा।

भारत अपने सबसे बड़े पुल से चीन को देगा जवाब

चीन का जवाब देने के लिए भारत सरकार समग्र रणनीति के जरिए चीन से सटे या करीब वाले राज्यों पर खासा ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एशिया का सबसे लंबे पुल बनाया गया है। 9.15 किलोमीटर लंबा यह पुल ना सिर्फ असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच के सफर की दूरी को कम करेगा बल्कि समय की भी बचत होगी।

दो लाइन के इस पुल का डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि ताकि वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बिना किसी रुकावट के अपनी मंजिल तय कर सकें।

मंगोलिया को भारतीय मदद

मंगोलिया को पिछले वर्ष भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एक अरब डॉलर की मदद देने की घोषणा की। पीएम की इस घोषणा पर भले ही उतनी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं हुई हो लेकिन भारत ने यह मदद ऐसी ही नहीं दी है।

बताया जा रहा है कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति और कूटनीतिक समझ शामिल है। मंगोलिया को मदद देने के पीछे सबसे बड़ी भूमिका नई सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की है। वैसे यह बात शायद कम लोग जानते होंगे कि मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मंगोलिया का दौरा किया था। भारत के लिए मंगोलिया का महत्व इस नाते भी बहुत है कि ये रूस और चीन के बीच में है।

जानकार की राय

रक्षा जानकार पी के सहगल ने बताया कि चीन की घेराबंदी के लिए जहां भारत को जहां सरहदी राज्यों में आधारभूत तैयारी को बढ़ाना होगा, वहीं वैश्विक स्तर पर चीन विरोधी देशों के साथ मिलकर मोर्चाबंदी करनी होगी। ताकि चीन पर एत तरह से मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल हो सके।

यह दैनिक प्रकाशक, मुद्रक एवं मालिक एड. अरुण कोटेचा द्वारा देश प्रेस, 85, हनुमाननगर, नागपुर यहां छपवाकर 1, पंचशील सिनेमा बिल्डिंग, वर्धा रोड, नागपुर - 440012 यहां से प्रकाशित किया।
संपादक - एड. अरुण कोटेचा, फोन नं. 2541300/2562837 फॅक्स : (0712) 2541300 email : vikibaat@gmail.com/vikibaat@rediffmail.com R.N.I.No.MAH HIN/2000/6262

सूचना - 'विदर्भ की बात' में प्रकाशित सभी लेखों पर संपादक की अनुमति हो यह अनिवार्य नहीं है। 'विदर्भ की बात' में प्रकाशित किसी भी लेख पर यदि आपत्ति हो तो उसके विरुध्द केवल नागपुर न्यायालय में ही कार्रवाई होगी।